11.8.2025 पत्रावली पेशी में ली गई। तहसील पत्रांक रास्ता/177 दिनांक 11.7.2025 को भलीभांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा चक 16KSP खाता सं. 155/49 मु.न. 136/324 (28) कि.न. 23 में रास्ता चाहा गया है। तहसील DR द्वारा अवगत करवाया गया है प्रश्नगत खाता संयुक्त आराजी है। RTA प्रावधानों के अन्तर्गत संयुक्त आराजी में प्रत्येक हिस्से पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा/हिस्सा माना जाता है जब तक विधिवत विभाजन नहीं करवाया गया हो। अतः प्रार्थी विधिवत

विभाजन उपरांत नये सिरे से 251A सिA
के प्रावधानान्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश करने
के लिए स्वतंत्र है। हस्तगत प्रार्थना पत्र
251A सिA के प्रावधानों अनुसार नहीं
होने व याचित रास्ता भूमि संयुक्त
आराजी होने के कारण प्रार्थना पत्र
खारिज किया जाता है। पत्रावली
नंबर से कम की जाकर दाखिल
दफ्तर की जाती है आदेश खुले
इजलास सुनाया गया। [illegible]

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
[illegible]